<u>व्यापारिक जहाजों का पंजीकरण</u>

नियम और बुनियादी दस्तावेज :- संशोधित मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 और एमएस (भारतीय जहाजों का पंजीकरण) नियम। पंजीकरण प्रक्रिया में मालिक से आवेदन, चेक लिस्ट के अनुसार दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण, दस्तावेजों का सत्यापन, जहाज की योजना और रेखाचित्र, भारतीय ध्वज फहराने के लिए जहाज की उपयुक्तता का आकलन (जहाज की आयु चाहे जितनी भी हो, लेकिन भारत सरकार के नियमों और आईआरएस वर्ग आवश्यकताओं का अनुपालन करना) और मालिक के स्वामित्व और साख को स्थापित करना शामिल है।

जहाज को नाम, आधिकारिक संख्या और एमएमएसआई संख्या आवंटित करने के बाद, नक्काशी और अंकन नोट जारी किया जाता है। इन चिह्नों का सत्यापन जहाज पर किया जाता है और 'सर्वेक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के लिए अधिकृत सर्वेक्षक द्वारा चालक दल के आवास सर्वेक्षण सहित प्रथम प्रवेश (पूर्व पंजीकरण) सर्वेक्षण किया जाता है। 6 महीने के लिए वैध अनंतिम रजिस्ट्री भारतीय कांसुलर अधिकारी या मर्केंटाइल समुद्री विभाग के सर्वेक्षक या भारतीय शिपिंग रजिस्टर (आईआरएस) द्वारा जहाज पर <u>रजिस्ट्रार ऑफ शिप (आरओएस) द्वारा अधिकृत रूप से जारी की जा सकती है</u> , भले ही जहाज का स्थान कुछ भी हो।

वैधानिक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वर्ग सर्वेक्षण अलग से किया जाता है।

अनंतिम/स्थायी रजिस्ट्री के तुरंत बाद बंधक संभव है।

मुद्रित प्रपत्र आरओएस के साथ उपलब्ध हैं। i) स्वामित्व की घोषणा (आरओएस या कांसुलर अधिकारी या सर्वेक्षक के समक्ष मालिक / मालिकों के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित, जैसा कि आरओएस द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया हो) ii) बिक्री का दस्तावेज और iii) रजिस्ट्री का अनंतिम प्रमाण पत्र।

स्थायी रजिस्ट्री के लिए आवेदक द्वारा भरे जाने वाले अन्य प्रारूप हैं: i). पंजीकरण चेकलिस्ट और ii). 'जहाज का विवरण' (मालिक के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित)। इसके अतिरिक्त, चेकलिस्ट में उल्लिखित दस्तावेज और चित्र प्रस्तुत किए जाने हैं।

पंजीकरण की आवश्यक प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं।

(तटीय पोत अधिनियम 1838 के अंतर्गत पंजीकृत होने वाले मछली पकड़ने वाले जहाजों और मूक बजरों के लिए, संबंधित जांच सूची देखें)।

मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 21 के अनुसार, किसी जहाज को तब तक भारतीय जहाज नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका पूर्ण स्वामित्व ऐसे व्यक्तियों के पास न हो, जिन पर निम्नलिखित में से कोई भी विवरण लागू होता हो-

क) भारत का नागरिक हो; या

ख) किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई कंपनी या निकाय जिसका मुख्य व्यवसाय स्थान भारत में है; या

(ग) कोई सहकारी समिति जो सहकारी समिति अधिनियम, 1912 या किसी राज्य में सहकारी समितियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो या पंजीकृत मानी गई हो।

एमएस नोटिस 11/2015 के अनुसार, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम के प्रावधान के तहत साझेदारी फर्म के नाम पर कोई जहाज पंजीकृत नहीं किया जा सकता है।

1. **नाम, आधिकारिक नंबर, कॉल साइन और एमएमएसआई नंबर का आवंटन** : मालिक द्वारा आवेदन ईगवर्नेंस पोर्टल में ऑनलाइन किया जाना है- एक बार रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद नाम आवंटन पत्र ऑनलाइन तैयार किया जाएगा। आवंटित नाम, आधिकारिक नंबर, कॉल साइन और एमएमएसआई एक वर्ष के लिए वैध है, जिसे उसके बाद मालिक के अनुरोध पर एमएसएल शाखा परिपत्र 02/2010 के अनुसार पुनः मान्य किया जा सकता है।
   भारत कोष पोर्टल पर 5000/- रुपये का शुल्क अदा करना होगा।

नोट: - चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए। बिना पूर्वोक्त सत्यापन और मुहर के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

2. **नक्काशी और अंकन नोट** : आवेदन मालिक द्वारा जहाज के आईटीसी (1969) / अनुमोदित टन भार गणना की प्रति और 500 रुपये की फीस भुगतान रसीद के साथ किया जाना है। नाम आदि आवंटित होने के बाद यह जारी किया जाता है - जहाज के आईटीसी (1969) / अनुमोदित टन भार गणना की प्रति आवश्यक है - नक्काशी और अंकन नोट के पिछले पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्री का नाम और बंदरगाह पतवार पर चित्रित किया जाना है। आधिकारिक संख्या और शुद्ध टन भार 30 सेमी x 6 सेमी की पीतल की प्लेट पर उकेरा जाना है और पहिए के घर में स्पष्ट रुप से रखा जाना है। आईएमओ नंबर को संशोधित रुप में एसओएलएएस 1974 के अध्याय XI-1, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के विशेष उपायों के नियमन 3(4) के अनुसार वेल्ड किया जाना

3. **सर्वेक्षण प्रमाणपत्र** : पंजीकरण चाहने वाले जहाज पर आरओएस द्वारा अधिकृत कांसुलरी अधिकारी / एमएमडी / आईआरएस द्वारा एक सरसरी सर्वेक्षण किया जाता है और निर्धारित प्रारूप के अनुसार सर्वेक्षण प्रमाणपत्र तुरंत जारी किया जाता है।

   सर्वेक्षण का कार्य वाणिज्य दूतावास अधिकारी/एमएमडी/आईआरएस या आरओएस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य आरओ द्वारा जहाज पर पंजीकरण के लिए किया जाता है और एमएस अधिनियम की धारा *27* के अनुसार निर्धारित प्रारूप में सर्वेक्षण का प्रमाण पत्र तुरंत जारी किया जाता है।

4. **अनंतिम रजिस्ट्री** : मालिक के अनुरोध पर, आरओएस कांसुलर अधिकारी / एमएमडी / आईआरएस को आवश्यक दस्तावेजों को सत्यापित करने, सी एंड एम नोट के अनुसार जहाज पर चिह्नों को देखने और जहाज की आयु या स्थान पर ध्यान दिए बिना रजिस्ट्री का अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

   मालिक के अनुरोध पर, आरओएस कांसुलर अधिकारी / एमएमडी / आईआरएस को आवश्यक दस्तावेजों को सत्यापित करने, सी एंड एम नोट के अनुसार जहाज पर चिह्नों को देखने और सर्वेक्षण प्रमाण पत्र में की गई प्रविष्टियों के सत्यापन के बाद, जहाज की आयु या स्थान पर ध्यान दिए बिना रजिस्ट्री का अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

5. **TemporaryPass**: यदि अनंतिम रजिस्ट्री की समाप्ति के बाद भी स्थायी रजिस्ट्री पूरी नहीं होती है, तो TemporaryPassभारतीय क्षेत्र में संचालन के लिए “ ”
यदि मालिक द्वारा अनुरोध किया जाए तो डीजीएस से अनुमति लेकर कोस्ट जारी किया जा सकता है।

6. **स्थायी रजिस्ट्री** : मालिक को चेक लिस्ट के अनुसार स्थायी पंजीकरण के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। “सर्वेक्षण प्रमाणपत्र” और “जहाज के विवरण” में भरे जाने वाले सभी विवरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए और ऐसे डेटा के लिए सबूत दिए जाने चाहिए।

7. **टन भार** : छह महीने के लिए वैध नई अल्पावधि आईटीसी मौजूदा आईटीसी के आधार पर जारी की जाएगी। यदि 1969 टन भार सम्मेलन के तहत आईएसीएस सदस्य द्वारा जारी किया गया है तो पूर्ण अवधि आईटीसी पिछले आईटीसी के आधार पर जारी की जाएगी। (चेकलिस्ट संख्या 1 देखें; आइटम संख्या 17)।

चेक लिस्ट संख्या 1A- व्यापारिक जहाजों का पंजीकरण। *(* **आनंद नौकाओं को** लागू होने पर अनुपालन करना होगा *)* **पृष्ठ 1 का 4**

नोट: - चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए। बिना पूर्वोक्त सत्यापन और मुहर के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

नहीं	**पोत का नाम**		नाम और पंजीकृत **मालिक** का पता #					
1	(क) शुद्ध टन भार 15 टन से अधिक होना चाहिए		(ख) जहाज स्व-चालित होना चाहिए (प्रणोदन इंजन होना चाहिए)					
नोट: यदि उपरोक्त *1(ए)* या *(बी)* नकारात्मक है, तो जहाज को एमएस अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। मालिक अंतर्देशीय / तटीय पोत अधिनियम के तहत पंजीकरण पर विचार कर सकता है।								
2	डिलीवरी के देश में **भारतीय दूतावास** का पता # , **कांसुलर अधिकारी का नाम (यदि जहाज विदेश में है और उस कार्यालय द्वारा अनंतिम रजिस्ट्री जारी करने की आवश्यकता है);** मालिक को इस उद्देश्य के लिए अनंतिम रजिस्ट्री का एक खाली फॉर्म साथ रखना चाहिए *)*							
3	**पिछले फ्लैग** का पता # (आईटीसी को पुन: जारी करने के लिए रजिस्ट्रार को उनसे टन भार गणना प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए*)* मद संख्या *17* देखें।							
# फ़ैक्स और ई-मेल आईडी सहित संपर्क नंबर के साथ पूरा डाक पता।								
4	क) नया जहाज़ ?	हां नहीं	ख) देश बनाना	India/ विदेश	ग) विदेशी मालिक से खरीदा गया?	हां नहीं	(घ) **कीमत रुपए में.**	
5	जहाज को केवल (ए) भारतीय तटीय यात्राओं (एनसीवी) के लिए लगाया जा सकता है।		3(बी). केवल विदेश जाने वाले		3(सी).एनसीवी और एफजी दोनों			
6	कील बिछाने की तिथि		लॉन्चिंग की तिथि		डिलीवरी की तिथि (शिपयार्ड से प्रथम मालिक तक)			
7	**आवेदन प्राप्ति की तिथि** से लेकर डिलीवरी की तिथि तक पोत की आयु (वर्षों और महीनों में)							
8	स्वीकृत सकल टन भार (जीटी)		स्वीकृत शुद्ध टन भार		पृथक गिट्टी टैंकों का टन भार			
9	हल्का वजन (जहाज)		विस्थापन (ग्रीष्म)		मृत भार			

नोट: - चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए। बिना पूर्वोक्त सत्यापन और मुहर के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

10	प्रमाणित चालक दल आवास (सीए) जिसमें मास्टर भी शामिल है (मालिक / पायलट के केबिन और Suezचालक दल आदि को छोड़कर)। *200* से अधिक सकल टन भार वाले सभी जहाजों के लिए डीजीएस द्वारा नई योजनाओं को अनुमोदित किया जाना चाहिए तथा एमएमडी/आईआरएस द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।	

नोट्स

i) उपलब्ध फॉर्म - 'चेकलिस्ट', 'जहाज का विवरण', 'अनंतिम रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र', 'स्वामित्व की घोषणा', 'बिक्री का दस्तावेज' और 'सर्वेक्षण का प्रमाण पत्र'।
ii) यदि रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया हो तो *6* महीने के लिए वैध 'सर्वेक्षण प्रमाणपत्र' और 'पंजीकरण का अनंतिम प्रमाणपत्र' एमएमडी/आईआरएस से कांसुलर अधिकारी/सर्वेक्षक द्वारा जहाज पर जारी किया जाएगा। *iii)* एलएसए, एलएंडएसएस, अग्नि नियंत्रण योजना, स्थिरता पुस्तिका आदि सहित दस्तावेजों और योजनाओं को जहाज को अपने कब्जे में लेने के समय विधिवत उपस्थित सर्वेक्षक द्वारा एक वर्ष के लिए अनंतिम रूप से समर्थन दिया जा सकता है *(*केवल पिछले ध्वज या आईएसीएस क्लास से अनुमोदन के आधार पर*)*। इन दस्तावेजों को बाद में एक वर्ष के भीतर आईआरएस द्वारा अनुमोदित किया जाना है। *iv)* किसी भी समय भारतीय जहाजों या उनमें किसी भी शेयर या हित का अधिग्रहण करना जब राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो या युद्ध/बाहरी आक्रमण का खतरा हो और जिसके दौरान आपातकाल की घोषणा जारी की गई हो, तो भारत सरकार से अनुमति की आवश्यकता होती है।

नोट: - चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए। बिना पूर्वोक्त सत्यापन और मुहर के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

<table>
<tr><th>नहीं</th><th>आवश्यकताएं</th><th>हां/नहीं</th></tr>
<tr><td colspan="3">नवनिर्मित जहाजों के लिए , मद 12 iii), 21, 22, और 23 (i) लागू नहीं हैं।
सेकेंड हैंड जहाजों के लिए , मद 13 को छोड़कर सभी आवश्यकताएं (मद 1 से 25) लागू हैं।
सरकारी स्वामित्व वाले जहाजों के लिए मद संख्या 12 (i), 14 और 15 लागू नहीं हैं (इसके स्थान पर पत्र की आवश्यकता है। पृष्ठ संख्या 11 पर जांच सूची संख्या 2 देखें)।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>नाम आवंटन , आधिकारिक संख्या, कॉल साइन और एमएमएसआई नंबर के लिए निर्धारित प्रारूप में संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया जाना है , साथ में i) एक वचनबद्धता कि जहाज को 12 महीने के भीतर पंजीकृत किया जाएगा और आवंटित होने वाले एमएमएसआई नंबर का उपयोग केवल उसी जहाज के लिए किया जाएगा और ii) निम्नलिखित की प्रतियां , जैसा लागू हो।
<u>ए) नया (प्रथम-हाथ) जहाज</u> : मुख्य विवरण और स्वीकृत टन भार गणना, यदि निर्मित हो India/ अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाणपत्र की प्रति, यदि विदेश में निर्मित हो।
<u>बी). पुराना (सेकेंड हैंड) जहाज</u> : ए). पिछला रजिस्ट्री प्रमाणपत्र (बी). अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाणपत्र की प्रति।</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>नोट:</u> एक बार नाम आदि आवंटित हो जाने पर, <u>यदि</u> टनभार विवरण उपलब्ध करा दिया जाता है, तो पोत रजिस्ट्रार द्वारा 'नक्काशी एवं अंकन नोट' जारी किया जाएगा ।</td></tr>
<tr><td>12</td><td>इसके बाद आवश्यक अन्य दस्तावेज:
i) 'कंपनी का ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख' जिसमें 'शिपिंग' उद्देश्य हो / 'साझेदारी विलेख', जैसा लागू हो।
~~ii) निर्माण और सर्वेक्षण (विदेश में निर्मित जहाज) के लिए डीजीएस प्राधिकरण पत्र की प्रति~~ (<u>डीजीएस पत्र संख्या एसएस/आरएससी/2283 दिनांक के अनुसार हटा दी गई) 09.05.2014</u> और
iii) जहाज खरीदने के लिए 'समझौता ज्ञापन' की प्रति (यदि नया हो) और जहाज निर्माण अनुबंध की प्रति जिसमें कीमत दर्शाई गई हो (यदि नया हो)</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>नए जहाजों के लिए मूल बिल्डर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा , जिसमें मालिक का नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखा हो ।
(निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित, जिसमें जहाज का मूल्य और टन भार, निर्माण की तिथि और स्थान, किसके लिए निर्माण किया गया, यार्ड संख्या आदि का सही विवरण हो।) यदि ऐसे विवरण अज्ञात हों, तो मालिक से इस आशय की घोषणा अपेक्षित है।</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>* यदि कंपनी हो तो कंपनी सचिव (या दो निदेशकों) द्वारा हस्ताक्षरित मूल बोर्ड संकल्प / यदि साझेदारी फर्म हो तो सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज जिसमें कम से कम निम्नलिखित का उल्लेख हो।
क) जहाज की प्रस्तावित खरीद का विवरण, ख) विक्रेता/निर्माता का विवरण और ग) कंपनी/फर्म की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने/निष्पादित करने के लिए व्यक्ति/व्यक्तियों को अधिकृत करना।</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>नोट:</u> * बोर्ड के प्रस्ताव पर कॉमन सील पर जोर <u>नहीं दिया जाता</u> है । हालांकि, मॉर्गेज (फॉर्म 11), पावर ऑफ अटॉर्नी, बिल ऑफ सेल (नीचे आइटम नंबर 23 देखें) आदि जैसे कामों को निष्पादित करने के लिए लागू होने वाले दस्तावेजों पर कॉमन सील लगाई जाएगी।</td></tr>
</table>

नोट: - चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए। बिना पूर्वोक्त सत्यापन और मुहर के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

15	**स्वामित्व की मूल घोषणा** (निर्धारित प्रपत्रों पर; कंपनी के लिए क्रमांक 5, भागीदारी फर्म/संयुक्त मालिकों के लिए क्रमांक 4 और व्यक्तिगत मालिकों के लिए क्रमांक 3) मालिक के विधिवत अधिकृत व्यक्ति (जैसा कि बोर्ड के प्रस्ताव/ सभी भागीदारों द्वारा जारी पत्र में निर्दिष्ट है) द्वारा जहाज रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में हस्ताक्षरित की जानी चाहिए। ऐसे सत्यापन का स्थान उल्लेखित किया जाना चाहिए। स्वामित्व की घोषणा नोटरी पब्लिक के समक्ष हस्ताक्षरित नहीं की जानी चाहिए।	
16	हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ताओं/संयुक्त मालिकों के आधार कार्ड की प्रति, जिन्हें रजिस्ट्रार की उपस्थिति में स्वामित्व की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।	
टिप्पणियाँ: *i).* **यदि व्यक्ति** है तो घोषणाकर्ता को भारतीय नागरिक होना चाहिए – सबूत के तौर पर आधार कार्ड दिखाना होगा। *ii).* यदि मालिक कोई कंपनी या सहकारी समिति है तो व्यापार का मुख्य स्थान भारत में होना चाहिए *India*। *iii).* शेयरों की संख्या स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए *(*जैसे सभी दस या *10* में से *10)*। *iv).* यदि जहाज/शेयर एक से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्व में है तो घोषणा उनमें से किसी एक द्वारा की जानी चाहिए, जैसा कि सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा अधिकृत किया जा सकता है ।		
1 6	डीजीएस द्वारा नाम आवंटित किए जाने के बाद port of Registry**मूल 'नक्काशी और अंकन नोट' जारी किया जाएगा। नाम और** नाम नक्काशी और अंकन नोट के पिछले पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पतवार पर चित्रित किए जाने हैं। आधिकारिक संख्या और नेट टन भार को 30 सेमी x 6 सेमी की पीतल की प्लेट पर उकेरा जाना चाहिए और व्हील हाउस पर स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए। IMO नंबर को संशोधित रूप में SOLAS 1974 के समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अध्याय XI-1, विशेष उपायों के विनियमन 3(4) के अनुसार वेल्डेड किया जाना चाहिए। इन चिह्नों को 'सर्वेक्षण प्रमाणपत्र' और 'पंजीकरण का अनंतिम प्रमाणपत्र' जारी करने के लिए यात्रा के समय रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत अधिकृत सर्वेक्षक / कांसुलर अधिकारी द्वारा सत्यापित और समर्थन किया जाना चाहिए।	

चेक लिस्ट संख्या 1-मर्चेंट शिप का पंजीकरण *(* **आनंद नौकाओं को** लागू होने पर अनुपालन करना होगा *)* **पृष्ठ 3 का 4**

नहीं	**आवश्यकताएं**	**हां/नहीं**
17	**टन भार की पुष्टि** : a). यदि डिलीवरी के समय जहाज को आईएसीएस सदस्य के साथ लगातार 2 वर्षों के लिए वर्गीकृत किया गया था (या दो साल से कम पुराना होने पर आईएसीएस वर्ग के तहत निर्मित / अनुरक्षित किया गया था) और 1969 के टन भार सम्मेलन के तहत आईएसीएस सदस्य द्वारा जारी मौजूदा आईटीसी में आईटीसी (1969) के अनुलग्नक प्रारूप में आवश्यक मात्रा विवरण हैं, तो मौजूदा आईटीसी के आधार पर रजिस्ट्रार द्वारा जहाज को एक नया पूर्ण अवधि का आईटीसी जारी किया जाएगा। इसे सक्षम करने के लिए, मालिक को एक वचनबद्धता देनी होगी कि ' उसके द्वारा प्रस्तुत योजनाएं सही मायने में जहाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और मौजूदा आईटीसी जारी करने के बाद से जहाज के टन भार को प्रभावित करने वाला कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।' b). **यदि नहीं** , तो पिछले ध्वज / वर्ग द्वारा जारी मौजूदा आईटीसी में ऐसे मामलों में, रजिस्ट्रार द्वारा जहाज को छह महीने के लिए वैध एक अनंतिम आईटीसी जारी किया जाएगा। छह महीने की इस अवधि के दौरान और उससे अधिक नहीं, मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि आईआरएस द्वारा टन भार को फिर से मापा जाए और आईआरएस द्वारा अनुमोदित आंकड़े रजिस्ट्रार को भेजे जाएं। इन अनुमोदित टन भार के आंकड़ों की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार द्वारा जहाज को एक नया स्थायी आईटीसी जारी किया जाएगा। यदि 1969 के टन भार सम्मेलन के अनुसार आईटीसी के अनुलग्नक	

नोट: - चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए। बिना पूर्वोक्त सत्यापन और मुहर के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

18	**मास्टर का नाम और उसकी <u>वैध</u> COC की एक प्रति** संलग्न की जानी चाहिए। (तेल/रासायनिक टैंकर आदि के लिए उपयुक्त अनुमोदन के साथ *India***डिलीवरी की प्रस्तावित तिथि पर** *COC* वैध होनी चाहिए । सरकार द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए या यदि विदेशी देश द्वारा जारी की गई हो)	
19	**पोत के चित्र** इस प्रकार हैं: **1)** चालक दल आवास योजना (अनुमोदित) (कृपया क्रम संख्या 10 देखें) **2)** सामान्य व्यवस्था योजना (समीक्षित/अनुमोदित)। **3)** मिडशिप सेक्शन (समीक्षित)। योजनाओं को क्लास या एक्स-फ्लैग प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। सभी योजनाओं को जहाज के नए नाम के साथ समर्थन किया जाना चाहिए और क्लास द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए)	
20	**जहाज का विवरण** (नीचे संलग्न प्रति) जिसमें प्रणोदन मशीनरी और बॉयलर का विवरण शामिल है, दिए गए प्रारूप के अनुसार विधिवत भरा हुआ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और मालिक/खरीदार के अधिकृत व्यक्ति द्वारा <u>समर्थन किया जाना चाहिए</u> **।** दिए गए सभी डेटा का साक्ष्य संलग्न करें।	
21	**मूल ' बिक्री बिल'** (सामान्य मुहर/समतुल्य के साथ, जैसा लागू हो) भारतीय वाणिज्य दूतावास/भारतीय शिपिंग रजिस्टर (यदि प्राधिकृत हो) द्वारा	
22	**' डिलीवरी प्रोटोकॉल'** (जिसके तहत जहाज आवेदक को हस्तांतरित किया गया था)।	
23	पिछले पंजीकरण प्राधिकारी से **मूल 'विलोपन प्रमाणपत्र'** या **' रजिस्टर की प्रतिलिपि' ।**	
24	(i) पिछले वैधानिक प्रमाणपत्रों की प्रतियां **<u>और</u>** (ii) डिलीवरी के बाद आईआरएस द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र।	
24	**यदि लागू हो तो** <u>अधिकृत</u> सर्वेक्षक द्वारा समर्थित जहाज की पहचान बताते हुए **मूल 'सर्वेक्षण प्रमाणपत्र'** । (नोट: सामान्यतः यह इस विभाग द्वारा जारी किया जाता है। कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि जब कोई जहाज विदेश में नवनिर्मित होता है, तो आईएसीएस सदस्य / आईआरएस / ध्वज का विधिवत अधिकृत (डीजीएस द्वारा) सर्वेक्षक इसे जारी कर सकता है)।	
25	भारतीय रजिस्ट्री के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि सूचना के लिए क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क विभाग को भेजी जाएगी।	
26	सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त प्रवेश पत्र की प्रति (यदि जहाज भारतीय जलक्षेत्र में आ चुका है)।	
27	समुद्री ट्रेल रिपोर्ट की प्रतिलिपि (नवनिर्मित जहाज के लिए)	
28	कक्षा से पत्र कि जहाज पूरी तरह से निर्मित है, समुद्री परीक्षण और झुकाव प्रयोग पूरा हो गया है और जहाज यात्रा के लिए तैयार है (नव	
29	**यदि भारत में नया जहाज बनाया गया है -** तो कृपया बताएं कि क्या जहाज निर्माण के लिए कोई सरकारी सब्सिडी ली गई थी। यदि हां, तो विवरण दें।	

नोट: - चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए। बिना पूर्वोक्त सत्यापन और मुहर के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

30	**भारत कोष भुगतान रसीद –** **प्रारंभिक रजिस्ट्री पर, नई रजिस्ट्री पुनः करें या रजिस्ट्री के बंदरगाह के हस्तांतरण पर पंजीकरण करें** **प्रोसेसिंग फीस – रु. 500/-** **प्रमाण पत्र शुल्क – रु. 100/-** **(a) 3000 जीआरटी तक के जहाज, न्यूनतम 1500 रुपये के अधीन - ………………………………………. 1/- रुपये प्रति जीआरटी** **(b) 3001 जीआरटी से 20000 जीआरटी तक के जहाज, अधिकतम 15000/- रुपये तक ……………… 1/- रुपये प्रति जीआरटी** **(c) जहाज 20001 जीआरटी और उससे अधिक……………………………………………………………………रु. 15000 जीआरटी +** **20000 GRT से अधिक पर रु. 1/- / GRT**		
नोट: अनंतिम रजिस्ट्री के मामले में (डीजीएस पत्र संख्या एसडी-13 / पीओएल (5) / 2001 दिनांक 03.05.2002 और डीजीएस परिपत्र संख्या 2 / 2008 का संदर्भ लिया जा सकता है); रजिस्ट्रार रजिस्टर में एक पेज खोलेगा और पेज पर स्पष्ट रूप से "अनंतिम" अंकित करते हुए जहाज का विवरण दर्ज करेगा। जब बाद में स्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाता है, तो उसी पेज का उपयोग "अनंतिम" शब्द को " स्थायी " से बदलकर स्थायी रजिस्ट्री के लिए किया जाएगा। सीरियल नंबर वही रहेगा; रजिस्ट्री की तारीख दो भागों में होगी, एक अनंतिम के लिए और दूसरी स्थायी के लिए। **बंधक को अनंतिम रजिस्ट्री के दौरान पंजीकृत किया जा सकता है और इसका प्रभाव स्थायी रजिस्ट्री के समान ही होगा।**			

जहाज का विवरण (पंजीकरण चेकलिस्ट का आइटम 20 देखें) (पृष्ठ 1 का 2) (पूरी सावधानी से भरा जाना चाहिए तथा कंपनी के पहचान योग्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए)। प्रत्येक प्रविष्टि का साक्ष्य संलग्न करना होगा)

नोट: - चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए। बिना पूर्वोक्त सत्यापन और मुहर के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

जहाज का नाम (बड़े अक्षरों में)	आधिकारिक सं.	कॉल चिह्न	आईएमओ नं.	एमएमएसआई (डीएससी) नं.

जहाज का प्रकार	पिछला नाम	पिछली रजिस्ट्री की संख्या तिथि और पोर्ट	पिछला झंडा

पोत की कीमत (रु.) :		यदि विदेशी है तो कहां बना है?	निर्माण वर्ष	बिल्डर का नाम और पता :
वह देश जहां इसका निर्माण हुआ	मोटर / भाप / अन्य			
India/ विदेश	प्रोपेलर की संख्या:			

डेक की संख्या	मस्तूलों की संख्या	धांधली?	तना	कठोर	निर्माण	फ्रेमवर्क और विवरण
		हां / नहीं	रेक्ड / प्लम्बविथ बल्बस धनुष	क्रूजर / ट्रांसम	कार्वेल / चाइन	
बल्कहेड्स की संख्या	निर्माण सामग्री		लंबाई*	चौड़ाई*	गहराई*	
						*आईटीसी के अनुसार, मीटर में

इंजनों की संख्या	इंजन का विवरण					निर्माता का नाम और पता
	कहाँ बनाया गया	निर्माण वर्ष	प्रकार	नमूना	इंजन नं.	

शाफ्टों की संख्या	सिलेंडरों की संख्या / सेट	सिलेंडर का व्यास (मिमी)	स्ट्रोक की लंबाई (मिमी)	प्रत्यागामी / घूर्णी	पावर (किलोवाट)	जहाज की गति

नोट: - चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए। बिना पूर्वोक्त सत्यापन और मुहर के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

जहाज का विवरण (जारी) (पृष्ठ 2 का 2)

बॉयलरों की संख्या	बॉयलर का विवरण	लोडेड दबाव (किग्रा/ वर्ग से.मी.)	निर्माण वर्ष	कहाँ बनाया गया	निर्माता का नाम और पता

सकल टनभार	शुद्ध टन भार	मालिकों का विवरण (पता) :
कैप्टन ……………………………………………………………… जिसका सीओसी नंबर **आईएफ 00** ………………………… है, जब तक पुनर्मान्य नहीं किया जाता ……………… …डीसी पृष्ठांकन संख्या ……………….. दिनांक ……………… तक वैध, उक्त जहाज का मास्टर है।		

मालिकों का नाम	व्यवसाय का मुख्य स्थान	पता	दसवें शेयरों की संख्या

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए 'जहाज के विवरण' सत्य हैं।

नोट: - चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए। बिना पूर्वोक्त सत्यापन और मुहर के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

प्रामाणिक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिनकी प्रतियां संलग्न हैं:

(कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम)

चालक दल आवास निरीक्षण जाँच सूची (पंजीकरण जाँच सूची का आइटम 10 और FSI जाँच सूची का आइटम 61 देखें) (पृष्ठ 1 का 1)

1. ए). साफ़ हेड रूम 190 सेमी न्यूनतम। नियम 5(2)। 1बी). >3000 जी.टी. के लिए कार्यालय आवश्यक है। नियम 22.
2. चालक दल आवास बल्कहेड इंजन कक्ष, कोफ़रडैम, पेंट लॉकर आदि का हिस्सा नहीं होगा। नियम 6(2)
3. प्रावधान स्टोर गैस टाइट होना चाहिए। नियम 6(3)। 3बी)। मेस रूम के लिए हॉट प्रेस >1000जीटी। नियम 20।
4. सामान्य स्वच्छता स्थान को आवास से दरवाजे द्वारा जोड़ा जाएगा जिसकी फर्श से कम से कम 23 सेमी जलरोधकता होगी। नियम 6(4)।
5. खुले डेक से हर समय पहुंच योग्य होना चाहिए। नियम 9.2.बी. 5बी). बैटरियों को सोने के कमरे में नहीं रखना चाहिए। नियम 9.2.एच.
6. सभी भाप पाइप, गर्म और ठंडे पानी के पाइप को ढक दिया जाना चाहिए। नियम 9.2.f.6b). आवास के ऊपर सभी खुले डेक को ढक दिया जाना चाहिए। नियम 9.2.k.1.
7. आवास और डेक/इंजन स्टोर के बीच कोई सीधा रास्ता नहीं है। मनोरंजन डेक स्थानों को छूट दी गई है। नियम 9.2.l.
8. तेल टैंकों के कोई भी मैनहोल या अन्य खुले स्थान आवास में नहीं होने चाहिए। नियम.9.2.पी.
9. जब परिवेश का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस हो तो 19.4 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति मिनट कम से कम 0.42 घन मीटर वायु की हीटिंग प्रणाली क्षमता। नियम 10.1.
10. प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए। पर्याप्त प्रकाश का अर्थ है कि सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ सके। नियम 11 (2)।
11. साइड स्कटल आईडी न्यूनतम 30.5 सेमी. यात्री जहाज के लिए लागू नहीं है जो बिना खुलने वाले प्रकार का हो। नियम 11(4).
12. शयन कक्ष में बेड लैंप 200 लुमेन तथा अस्पताल में 400 लुमेन। नियम 11(5)।
13. वेंटिलेशन पूरी तरह से 3000 जी.टी. से अधिक के लिए वातानुकूलित होना चाहिए। यदि नहीं, तो प्रत्येक कमरे में पंखा होना चाहिए। वेंटिलेशन मोटर के लिए स्पेयर पार्ट्स भी आवश्यक हैं। नियम 12(4)।
14. डेक पर जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी। कोई अन्य जल निकासी सैनिटरी स्पेस तक नहीं जाएगी, और सैनिटरी स्पेस पर स्कूपर्स की आवश्यकता होगी। नियम 13 (1,2,3)।
15. पेंट सफेद या हल्के रंग का इनेमल या उपयुक्त सामग्री का होना चाहिए। नियम 14.
16. शयन कक्ष तथा अन्य स्थानों के लिए चिन्हांकन किया जाएगा, जिसमें अधिकतम संख्या में नाविकों को रखा जा सके। नियम 15.
17. प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के लिए शयन कक्ष अलग-अलग होगा। नियम 16.2(ए)। डेमैन और वॉच कीपर के कमरे रेटिंग के लिए अलग-अलग हैं। नियम 16.2(बी)। कार्गो शिप में प्रति कमरा अधिकतम रेटिंग 3 और पैसेंजर शिप में 6 है। नियम 16.3(एफ)। शयन कक्ष में प्रति रेटिंग न्यूनतम फ्लोर स्पेस 2.75 वर्ग मीटर और अधिकारी के लिए 4.25 वर्ग मीटर है। नियम 16.4.ए।

नोट: - चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए। बिना पूर्वोक्त सत्यापन और मुहर के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

18. बिस्तरों में कम से कम एक तरफ से साफ पहुंच होनी चाहिए। नियम 17. हॉट एयर ट्रंकिंग बिस्तर से कम से कम 10.2 सेमी दूर होनी चाहिए। नियम 17.5.ए. बिस्तरों को ओवरहेड वॉटर पाइप जॉइंट या सैनिटरी डिस्चार्ज के नीचे नहीं रखा जाना चाहिए। नियम 17.5.बी बिस्तर 2 से अधिक स्तर के नहीं होने चाहिए। फर्श से बिस्तर की न्यूनतम ऊंचाई 20.5 सेमी होनी चाहिए, ऊपरी बर्थ में गद्दे के नीचे से सिर के लिए कम से कम 76.2 सेमी की स्पष्ट जगह होनी चाहिए, दो स्तरों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी न्यूनतम 83.8 सेमी होनी चाहिए। नियम 17.8.(ए, बी)।
19. शयन कक्षों में साज-सज्जा और फिटिंग। चालक दल के लिए 1.68 मीटर ऊंची अलमारी, 2032.25 वर्ग सेमी अनुभागीय क्षेत्र और अधिकारियों के लिए 2967.74 वर्ग सेमी। कम से कम 0.056 घन मीटर क्षमता वाले दराजों के सेट के साथ टेबल, उस कमरे में एक समय में सभी नाविकों को समायोजित करने वाली सीटें, शौचालय का दर्पण, कैबिनेट, बुक रैक, पर्दा, गिलास के साथ पीने के पानी की बोतल, वॉश बेसिन आदि आवश्यक हैं। अधिकारियों के लिए कुल 0.28 घन मीटर क्षमता के कम से कम तीन दराज, आर्मरेस्ट वाली कुर्सी, 1.8 मीटर लंबी सेट्टी, दर्पण, शौचालय की आवश्यकताओं के लिए कैबिनेट। नियम 18।
20. मेस रूम को सोने के कमरे के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। अधिकारियों के लिए प्रति व्यक्ति 1 वर्ग मीटर और चालक दल के लिए प्रति व्यक्ति 0.7 वर्ग मीटर। नियम 19.
21. मनोरंजन स्थल, धूम्रपान कक्ष टेबल >37.16 वर्ग डेसीमीटर, जहाज के लिए स्विमिंग पूल >10000 जी.टी. नियम 21.
22. क) धुलाई स्थान। नियम 23. 22 ख) धुलाई स्थान पर कम से कम 45 लीटर/दिन/व्यक्ति पानी की आपूर्ति। नियम 24.
23. पीने का पानी- ठंडा पानी उपलब्ध होना चाहिए। न्यूनतम मात्रा निर्दिष्ट नहीं की गई है। नियम 25. 23 बी) कपड़े धोने की सुविधा। नियम 26.
24. वाटर क्लोजेट। नियम 27, गैली- नियम 28, ड्राई प्रोविजन रूम- नियम 29, कोल्ड रूम- नियम 30, अस्पताल- नियम 31, मेडिकल कैबिनेट- नियम 32, मच्छरों से बचाव- नियम
25. चालक दल के किसी भी आवास को यात्रियों के साथ साझा नहीं किया जाएगा। नियम 37.
26. उल्लंघन के लिए 1000/- तथा लगातार उल्लंघन के लिए 50/- प्रतिदिन का जुर्माना। नियम 39 26बी) सर्वेक्षक द्वारा निरीक्षण नियम 35 के अधीन है।
27. (क) चालक दल के लिए उपलब्ध कराए गए आवास की कुल संख्या (मास्टर द्वारा विधिवत अनुमोदित चालक दल की वैध सूची प्राप्त की जानी चाहिए)
ख)यात्रियों/विशेष कार्मिकों के लिए उपलब्ध कराए गए आवास की कुल संख्या

200 जीटी और उससे अधिक के सभी जहाजों के लिए अनुमोदित की जानी है । चालक दल के अलावा 12 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले जीटी के बावजूद सभी जहाजों के लिए यात्री आवास लेआउट को अनुमोदित किया जाना है NORMAL)।

(चालक दल के आवास की जाँच सूची का अंत)

पंजीकरण जाँच सूची का आइटम 24 देखें) पृष्ठ 1 का 2

सर्वेक्षण प्रमाणपत्र **मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 27** के तहत भारत सरकार द्वारा जारी किया गयाIndia		
जहाज का नाम	Port of Intendedरजिस्ट्री	नाम और आधिकारिक संख्या, यदि पहले कोई रजिस्ट्री हुई हो

नोट: - चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए। बिना पूर्वोक्त सत्यापन और मुहर के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

चाहे भारतीय हो या विदेशी निर्मित	भाप या मोटर जहाज: कैसे चलाया जाता है।	कहाँ बनाया गया	कब बनाया गया	बिल्डरों का नाम और पता:

नोट: आईटीसी का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाणपत्र *(1969)*

डेक की संख्या		निर्माण (कार्वेल / चाइन)		"लंबाई" (आईटीसी के अनुसार)		आधिकारिक सं.
मस्तूलों की संख्या		रूपरेखा एवं विवरण		"चौड़ाई" (करें)		कॉल चिह्न
धांधली (हाँ / नहीं)		सामग्री		"ढाला गहराई" (करें)		आईएमओ नं.
तना (रेक्ड- बल्ब)		बल्कहेड्स की संख्या		सकल टनभार #		डीएससी नं.
स्टर्न (ट्रांसम / क्रूजर)		जहाज का प्रकार		नेट टन भार#		मृत भार

इस जहाज का टन भार उसके आईटीसी 1969 / भारत टन भार प्रमाणपत्र (1987) के अनुसार है
जहाज के टन भार का विस्तृत सारांश आईटीसी (1969) / भारत टन भार प्रमाणपत्र (1987) के अनुलग्नक में दर्शाया गया है (***उपयुक्त के रूप में काटें)***

नाविकों और प्रशिक्षुओं की संख्या जिनके लिए आवास प्रमाणित है:

मैं, नीचे हस्ताक्षरकर्ता सर्वेक्षक, जिसे व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 27 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, ने उपर्युक्त जहाज का सर्वेक्षण किया है तथा यह प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त विवरण सत्य हैं, तथा उसके प्रत्येक अग्रभाग पर उसका नाम अंकित है, तथा उसका नाम और रजिस्ट्री का बंदरगाह उसके पिछले भाग के एक सुस्पष्ट भाग पर उचित रूप से अंकित है, तथा उसके तने के प्रत्येक ओर तथा उसके पिछले भाग के पोस्ट पर, जैसा कि निर्धारित है, उसके ड्राफ्ट को दर्शाने वाले मीटर के पैमाने अंकित हैं।

2008, दिनांक : ____________________ मुम्बई

सर्वेक्षक के हस्ताक्षर

नोट: - चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए। बिना पूर्वोक्त सत्यापन और मुहर के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

पृष्ठ 2 का 2

बिल्डरों, मालिकों या इंजन निर्माताओं द्वारा आपूर्ति की गई प्रणोदन मशीनरी आदि के विवरण का प्रमाणित अर्क

					रेसिप्रोकेटिंग इंजन		रोटरी	
इंजनों के सेटों की संख्या	इंजन का विवरण	चाहे भारतीय हो या विदेशी	कब बनाया गया	निर्माताओं का नाम और पता	प्रत्येक सेट में सिलेंडरों की संख्या एवं व्यास	स्ट्रोक की लंबाई	प्रत्येक सेट में सिलेंडर की संख्या	जहाज की शक्ति और अनुमानित गति
शाफ्टों की संख्या	बॉयलर का विवरण							
	विवरण							
	संख्या							
	भारित दबाव				सर्वेक्षक का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर			

नोट: - चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए। बिना पूर्वोक्त सत्यापन और मुहर के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

मुंबई में दिनांकित इस दिन ____________________________ 2008	

नोट: - चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए। बिना पूर्वोक्त सत्यापन और मुहर के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएँगे।